उत्तर प्रदेश शासन
कारागार प्रशासन एवं सुधार अनुभाग-3
संख्या- 16/2026/409के-2/22-3-25-17(180)/2020
लखनऊ: दिनांक: 16 जनवरी, 2026

आदेश

उत्तर प्रदेश के श्री राज्यपाल, भारत का संविधान के अनुच्छेद-161 के अधीन शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय कारागार, आगरा में निरूद्ध सिद्धदोष बन्दी कल्ले (बन्दी संख्या-17122) पुत्र श्री वाला, निवासी ग्राम-निवाई, थाना-पाली, जनपद-ललितपुर, जिन्हें सत्र परीक्षण संख्या-8/1993 में भा0द0वि0 की धारा-302/149, 323/149 के अन्तर्गत मा0 न्यायालय, सत्र न्यायाधीश, ललितपुर के दण्डादेश दिनांक 21.01.1995 द्वारा आजीवन कारावास से दण्डित किया गया, जिसकी अपील मा0 उच्च न्यायालय, इलाहाबाद के आदेश दिनांक 19.09.2014 को निर्णीत करते हुए सजा को यथावत रखा, की दिनांक 25.10.2022 तक आयु लगभग 82 वर्ष होने, संतोषजनक जेल आचरण होने तथा दिनांक 25.10.2022 तक 07 वर्ष 06 माह 19 दिन की अपरिहार सजा एवं 09 वर्ष 13 दिन की सपरिहार सजा भोगने के दृष्टिगत शेष सजा को परिहार करते है तथा यह आदेश देते हैं कि यदि उक्त बंदी को किसी अन्य वाद में निरूद्ध रखा जाना वांछित न हो तो उसे अपनी शेष दण्डावधि में शान्ति व्यवस्था बनाये रखने के लिये जिला मजिस्ट्रेट, ललितपुर के संतोषानुसार दो जमानतें तथा उतनी ही धनराशि का एक निजी मुचलका प्रस्तुत करने पर बन्दी को कारागार से मुक्त कर दिया जाय।

कमलेश कुमार
उप सचिव।

संख्या व दिनांक तदैव।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- पुलिस महानिदेशक/महानिरीक्षक, कारागार प्रशासन एवं सुधार सेवायें, उ0प्र0 लखनऊ।
2- जिला मजिस्ट्रेट, ललितपुर।
3- पुलिस अधीक्षक, ललितपुर।
4- वरिष्ठ अधीक्षक, केन्द्रीय कारागार, आगरा।
5- कारागार प्रशासन एवं सुधार अनुभाग-2, उ0प्र0 शासन।
6- निजी सचिव, मा0 मंत्री/ मा0 राज्यमंत्री, कारागार प्रशासन एवं सुधार विभाग, उ0प्र0 को मा0 मंत्री जी के सूचनार्थ।
7- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,
ममता श्रीवास्तव
अनु सचिव।

---

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in